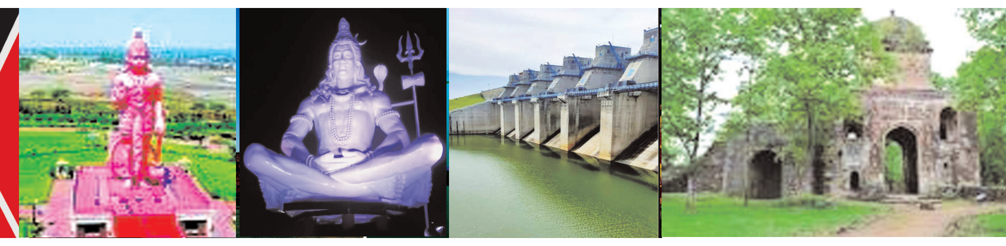

नवभारत

छिंदवाड़ा, शुक्रवार, 7 अगस्त 2026

बिजली चोरी का महा घोटाला उजागर : जुन्नारदेव विधानसभा के ग्राम पंचायतों पर 1.13 करोड़ से अधिक का जुर्माना

जुन्नारदेव और तामिया जनपद की पंचायते में भारी गड़बड़ी

नवभारत न्यूज

छिंदवाड़ा/जुन्नारदेव, 06 अगस्त. जुन्नारदेव विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली जुन्नारदेव और तामिया जनपद की ग्राम पंचायतों में विकास के नाम पर बड़ी गड़बड़ी का मामला सामने आया है। बिजली विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, नल-जल योजनाओं और स्ट्रीट लाइटों को चलाने के नाम पर बड़े पैमाने पर अवैध तरीके से बिजली का इस्तेमाल किया जा रहा था।

गांवों में पीने का पानी सप्लाई करने और गलियों में रोशनी के नाम पर पंचायतों द्वारा बिना मीटर व कनेक्शन के सीधे बिजली की मुख्य लाइनों से केबल (कटिया) जोड़कर उपयोग किया जा रहा था। चेकिंग के दौरान बिजली विभाग ने कई सरपंचों और सचिवों के खिलाफ धारा 135 व 126 के तहत मामले दर्ज किए हैं।

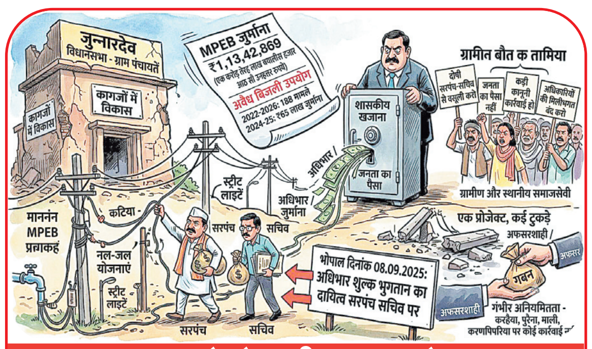

मामले से जुड़ी मुख्य बातें

कुल दर्ज मामले : 2022 से 2026 के बीच 188 मामले दर्ज।

कुल जुर्माना राशि : 1,13,42,869 (एक करोड़ तेरह लाख बयालीस हजार आठ सौ उनहत्तर रुपये)।

केवल 2024-25 का जुर्माना : अकेले वित्तीय वर्ष 2024-25 में 63 मामले दर्ज हुए, जिनका जुर्माना रू 65,63,140 तय किया गया।

विधुत विभाग के केंद्र : नवेगांव, पनारा, तामिया, सुकरी, दमुआ और झिरपा।

इसमे जुन्नारदेव विधानसभा की वे ग्राम पंचायतें की जानकारी शामिल नही है जो पास के दूसरे विकासखंड के विधुत खंड में आते है उनकी जानकारी मिलने पर राशि मे भी बढोतरी हो जायेगी.

ग्रामीणों ने की वसूली और दंडात्मक कार्रवाई की मांग

मामला उजागर होने के बाद ग्रामीणों और स्थानीय समाजसेवियों में काफी आक्रोश है। उन्होंने मांग की है कि बिजली चोरी का यह जुर्माना आम जनता या सरकार के पैसे से न भरा जाए, बल्कि शासन के आदेशों का पालन करते हुए इसकी व्यक्तिगत वसूली केवल ओर केवप दोषी सरपंचों और सचिवों से की जाए और उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए.

नियमों की अनदेखी और शासकीय खजाने पर बोझ

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पत्र क्रमांक ग्रा.वि.वि/2025/16261.भोपाल, दिनांक 08.09.2025 के अनुसार अधिभार शुल्क भुगतान का दायित्व संबंधित जिम्मेदारों (सरपंच सचिव) पर निर्धारित करना है वंही ज्ञात हो कि विधुत विभाग बिजली चोरी के जुर्माने की राशि को अधिभार के रूप विधुत देयकों/बिल में दर्ज करती है जिससे स्पष्ट है कि उक्त जुर्माने/अधिभार की राशि की वसूली भी सरपंच सचिवों से की जानी चाहिए।पिछले वित्तीय वर्षो में बिलो का भुगतान शासन द्वारा किया जाता था जिस कारण ग्राम पंचायतों द्वारा बिजली चोरी किये जाने पर विधुत विभाग द्वारा जुर्माने की राशी की अधिभार के रूप में बिलो में जोड़ दिया जाता था जिसका भुगतान शासन द्वारा कर दिया जाता था व उक्त अधिभार का अतिरिक्त भार शासन पर पड़ रहा था जो जांच का विषय है

एक प्रोजेक्ट के कई टुकड़े कई लाखो का अतिरिक्त भुगतान ओर लाखो का गबन

एक प्रोजेक्ट के कई वर्क आर्डर बना कर स्वीकृत प्रोजेक्ट राशि से अधिक का भुगतान आर्थिक गबन की श्रेणी में आता है जो जुन्नारदेव जनपद की कई ग्राम पंचायतों द्वारा किया जा है जो गहन जांच का विषय है विधुत भिभाग द्वारा भी केवल एक प्रोजेक्ट पर एक ही कनेक्शन दिया जाने का प्रावधान है वंही कुछ दिन पहले भी ग्राम पंचायत करहैया और पुरैना खालसा, माली ओर करणपिपरिया में हो रहे गंभीर अनियमितता के मामले सामने आए जिस पर भी आज दिनांक तक कोई कार्यवाही का ना होना अधिकारियों की खुली मिलीभगत को दिखाता है

इनका कहना है ...

ऊर्जा क्षति के जो राशि अधिरोपित की गई है उसकी नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जा रही जो निरंतर जारी है और राशि का भुगतान नही होने की दशा में कनेक्शन विच्छेदन की कार्यवाही की जाएगी .

प्रशांत नागेश
कार्यपालन अभियंता मध्यप्रदेश विधुत मंडल पूर्वी क्षेत्र जुन्नारदेव

टांके में गिरने से मासूम की मौत

नवभारत न्यूज

छिंदवाड़ा,06 अगस्त. मोहखेड़ थाना क्षेत्र के लिंगा गांव की रहने वाली मासूम की गुरूवार को टांके में डूबने से मौत हो गई। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामला जांच में लिया है। जानकारी अनुसार मिश्री पुत्री नीलेष मर्सकाले 3 साल लिंगा की रहने वाली है। वह दोपहर को आंगनवाडी से आई थी टांके में गिर गई। इस बात की परिजनों को कोई जानकारी नहीं थी। जब देर तक वह घर नहीं पहुंची, तो घर वालों ने उसे ढूढना शुरू किया। ढूढने के बाद वह टांके में उतराते हुए मिली। परिजन तत्काल उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। जहां डाक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने पंचनामा कार्रवाई के बाद पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

हत्यारे पति को आजीवन कारावास की सजा

नवभारत न्यूज

छिंदवाड़ा,06 अगस्त. घरेलू बात को लेकर हुए विवाद में हत्यारे पति ने अपनी पत्नी की डंडे से पिटाई की फिर उसका गला घोंट कर उसकी हत्या कर दिया. उक्त मामले में अपर सत्र न्यायालय जुन्नारदेव के द्वारा आरोपी पति लच्छेराम उर्फ लच्छीराम भारती पिता सुकलाल भारती 53 वर्ष निवासी 50 ग्राम झिरपा थाना माहुलझिर को धारा 103 (1) बीएनएस में आजीवन सश्रम कारावास और 2000 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 07 जुलाई 2025 को पुलिस को सूचना मिली थी कि मृतिका विनिता भारती शव उसके घर के अंदर पड़ा हुआ है उसके शरीर पर चोट के निशान भी दिखाई दे रहे है. उक्त मामले में पुलिस ने आरोपी पति लच्छे राम भारती को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने बताया कि 5 जुलाई 2025 को उसका पत्नि विनिता से घरेलू बात को लेकर विवाद हो गया था, विवाद होने पर उसने डंडे से अपनी पत्नी विनिता की पिटाई कर दिया फिर मुंह दबाकर उसका गलाघोंट कर उसकी हत्या कर वहां से फरार हो गया था. उक्त मामले में अपर सत्र न्यायाधीश जुन्नारदेव द्वारा आरोपी लच्छेराम भारती को धारा 103 (1) बीएनएस में आजीवन सश्रम कारावास से दंडित किया है.

श्री यादव जिला स्तरीय समाधान कार्यक्रम में शिकायतों के निराकरण की करेंगे समीक्षा

प्रदेश के मुखिया आज करेंगे मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान 2026 का शुभारंभ

नवभारत न्यूज

छिंदवाड़ा,06 अगस्त. प्रदेश के मुखिया डॉ. मोहन यादव आज मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान 2026 का शुभारंभ करेंगे। जिला स्तरीय समाधान कार्यक्रम में सीएम हेल्पलाइन सहित विभिन्न जनशिकायतों एवं आवेदनों के निराकरण की समीक्षा की जाएगी।

कार्यक्रम की समस्त कार्यवाही सीएम हेल्पलाइन पोर्टल के माध्यम से संपादित की जा रही है। मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान का उद्देश्य जनविश्वास, जनकल्याण हेतु क्षेत्र भ्रमण, निरीक्षण एवं जन संवाद के माध्यम से आम जनता की शिकायतों का त्वरित निराकरण, शासकीय योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग और लोक सेवाओं का समय-सीमा में प्रदाय किया जाना है। अभियान के तहत प्रत्येक शुक्रवार अधिकारियों द्वारा फील्ड भ्रमण कर आमजन से सीधे संवाद स्थापित किया जाएगा तथा उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

मुख्यमंत्री के प्रस्तावित भ्रमण एवं समाधान कार्यक्रम की तैयारियों के संबंध में आज संभागायुक्त जबलपुर धनंजय सिंह ने कलेक्टर हरेंद्र नारायन तथा जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अग्रिम कुमार के साथ कार्यक्रम स्थलों एवं अन्य व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया।

इस दौरान उन्होंने सुरक्षा, यातायात, बैठक व्यवस्था, हितग्राही प्रबंधन तथा अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। संभागायुक्त ने सभी व्यवस्थाएं समयबद्ध एवं सुव्यवस्थित रूप से पूर्ण करने तथा आमजन की सुविधा का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए।

फांसी लगाकर युवक की आत्महत्या

छिंदवाड़ा। कोतवाली थाना क्षेत्र के पुरानाछापा के रहने वाले युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामला जांच में लिया है। जानकारी अनुसार आकाश पिता लेखराम झरबड़े 32 साल पुराना छापाखाना का रहने वाला है। उसने बीती रात उसने अपने ही घर में फांसी लगा ली। जब वह बहुत देर तक कमरे से नहीं निकला। परिजन उसके कमरे में पहुंचे। जहां कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। परिजनों ने झांककर देखा, वह फंदे से लटका हुआ है। तत्काल दरवाजा तोड़कर उसे फंदे से उतारा गया। उसे जिला अस्पताल लाया गया। जहां डाक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने पंचनामा कार्रवाई के बाद पीएम कर शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

सर्रा के वार्ड क्रमांक 35 को मिली पक्की सड़क की सौगात

नवभारत न्यूज

छिंदवाड़ा,06 अगस्त. नगर निगम की सीमा क्षेत्रान्तर्गत सर्रा स्थित वार्ड क्रमांक 35 के रहवासियों का पक्की सड़क का लंबा इंतजार अब खत्म होने जा रहा है।

क्षेत्रवासियों की बहुप्रतीक्षित मांग को पूरा करते हुए लगभग 13 लाख रुपये की स्वीकृत लागत से बनने वाली नई पक्की सड़क का आज नगर निगम महापौर विक्रम अहके ने विधिवत भूमि पूजन किया। भूमि पूजन के पश्चात उपस्थित नागरिकों को संबोधित करते हुए महापौर विक्रम अहके ने कहा कि नगर के प्रत्येक वार्ड में मूलभूत सुविधाओं (सड़क, बिजली, पानी) का विस्तार करना नगर निगम की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस गुणवत्तापूर्ण सड़क के निर्माण से क्षेत्र के नागरिकों को सुगम आवागमन की सुविधा मिलेगी और वार्ड के विकास को नई गति प्राप्त होगी। इस दौरान महापौर ने मौके पर उपस्थित संबंधित अधिकारियों एवं निर्माण एजेंसी के ठेकेदार को सख्त निर्देश दिए कि सड़क का निर्माण कार्य पूरी गुणवत्ता के साथ और निर्धारित समय-सीमा के भीतर ही पूर्ण किया जाए।

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेंट प्रा. लि. हेतु लेसी एंगेज मीडिया प्रा. लि. के लिये मुद्रक, प्रकाशक आशीष श्रोती द्वारा हितकारिणी, प्रिंटिंग प्रेस सिविक सेंटर जबलपुर से मुद्रित एवं गुजराती समाज भवन, नई आबादी छिंदवाड़ा से प्रकाशित। संपादक क्रांति चतुर्वेदी। * फोन- 235677,235988 E-mail-nbchh123@gmail.com *समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के अन्तर्गत जिम्मेदार RNI Reg. No. MPHIN/2000/2589